

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना)

1.0 प्रस्तावना

दिव्यांगजनों को न्यूनतम लागत पर सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने का सरकार का सतत प्रयास रहा है जो दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए आवश्यक है। जनगणना, 2011 में यह उल्लेख है कि देश में 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग हैं। इसके अलावा, 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 3% बच्चों का विकास देरी से होता है, उनमें से अनेक मानसिक मंदता और प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित हैं, जिन्हें स्वयं की देखभाल तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की जरूरत होती है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से अनेक सहायक यंत्रों का विकास हुआ है, जो दिव्यांगता के प्रभाव को कम कर सकता है और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकता है। तथापि, अनेक दिव्यांगजन निम्न आयु वर्ग के हैं और वे खरीदने के लिए निधि प्राप्त करने की अपनी असमर्थता के कारण इन उपकरणों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं और जिसके कारण वे गरिमापूर्ण स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते।

1.01 दिव्यांगजनों को मदद करने और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के परिप्रेक्ष्य में, एडिप योजना को जारी रखने और इसे इस तरह संशोधित करने का निर्णय लिया गया है कि यह और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल हो सके और जरूरतमंद साधनों के अभाव में सहायक यंत्रों और उपकरणों को खरीदने से वंचित न हों तथा साथ ही साथ इन पर नियंत्रण रखने हेतु एक पारदर्शी तंत्र भी हो।

2.0 उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक तरीके से तैयार, आधुनिक, मानवीकृत सहायक यंत्रों और उपकरणों को खरीदने में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है जो दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के प्रभाव को कम करते हुए उनका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कर सके और साथ-साथ उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सके। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण इस उद्देश्य के साथ दिए जाते हैं कि उनकी स्वतंत्र कार्यप्रणाली में सुधार हो सके और गौण दिव्यांगता को रोका जा सके। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए सहायक यंत्र और उपकरण यथोचित प्रमाणन के होने चाहिए। योजना के अंतर्गत सहायक एजेंसियों द्वारा बाहर से खरीदे गये सहायक यंत्र एवं उपकरणों तथा निजी अंगों की क्वालिटी को, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय प्रमाणीकरण एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए।

3.0 परिभाषाएं

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की परिभाषाएं जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट) और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में दी गई हैं।

4.0 कार्यक्षेत्र

यह योजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी जैसा कि पैरा 5 में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे मानवीकृत सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद, तैयार करने और वितरित करने के लिए एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो योजना के लक्ष्यों के अनुरूप हों। एडिप योजना के अंतर्गत संवितरित सहायक यंत्रों और उपकरणों की फिटिंग और फिटिंग के बाद की देखभाल करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां समुचित देखभाल/व्यवस्था करेंगी। कार्यान्वयन एजेंसियां दिव्यांगजनों को ऐसे सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के संवितरण का व्यापक प्रचार करेंगी। इसके अलावा, शिविर से पहले ये एजेंसियां शिविर की तारीख तथा स्थान के बारे में एक सप्ताह पूर्व जिला कलेक्टर, बीडीओ, स्थानीय जन प्रतिनिधि, राज्य सरकार तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सूचित करेंगी। शिविर के पश्चात्, ये एजेंसियां राज्य सरकार एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सहायक यंत्रों एवं उपकरणों पर आई लागत के साथ इनका ब्यौरा एवं लाभार्थियों की सूची प्रदान करेंगी और लाभार्थियों की सूची को कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

4.01 योजना में निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार चिकित्सा/शल्य चिकित्सा सुधार तथा हस्तक्षेप भी शामिल होंगे जो सहायक यंत्रों और उपकरणों को फिट करने से पहले आवश्यक है:-

- (vi) श्रवण एवं वाक् दिव्यांगों के लिए 500/- रुपए से 1000/- रुपए।
- (vii) दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए 1000/- रुपए से 2000/- रुपए।
- (viii) अस्थि दिव्यांगों के लिए 3000/- रुपए से 5,000/- रुपए।

5.0 योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी की पात्रता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अधीन योजना कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र होंगी:

- i) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी और अलग से उनकी शाखा यदि हो।
- ii) पंजीकृत धर्मार्थ न्यास।
- iii) जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा अन्य स्वायत्त निकाय।

- iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थान, सीआरसी, आरसी, डीडीआरसी, राष्ट्रीय न्यास, एलिम्को ।
- v) राष्ट्रीय/राज्य विकलांग विकास निगम तथा निजी क्षेत्र की धारा 25 कम्पनियां ।
- vi) स्थानीय निकाय - जिला परिषद, नगरपालिकाएं, जिला स्वायत्त विकास परिषद और पंचायत आदि ।
- vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एक अलग कंपनी के रूप में पंजीकृत अस्पताल ।
- xiii) नेहरू युवा केन्द्र ।
- xiv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपयुक्त पाया गया अन्य कोई संगठन ।

5.01 इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान सहायक यंत्रों और उपकरणों के व्यापारिक उत्पादन अथवा आपूर्ति के लिए नहीं दिया जाएगा ।

5.02 नई कार्यान्वयन एजेंसियों का अनुमोदन देते समय, उन एजेंसियों को वरीयता दी जाएगी जो -

- (i) अपेक्षित कृत्रिम सहायक यंत्रों/उपकरणों की पहचान, निर्धारण, लाभार्थियों और सहायक यंत्र/उपकरण की फिटिंग और फिटिंग के बाद की देखभाल के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य कर्मचारी (आरसीआई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से) के रूप में व्यावसायिक/तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करेगा ।
- (ii) जिसके पास एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले कृत्रिम सहायक यंत्रों/उपकरणों के निर्माण, फिटिंग और देखभाल के लिए मशीनरी/उपकरण के रूप में अवसंरचना हो तथा जिसके पास आईएसआई मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों के उत्पादन की क्षमता हो तथा आईएसओ प्रमाणन हो ।

6.0 लाभार्थियों की पात्रता

एडिप योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन सहायता के लिए

पात्र होंगे:

- i) वह किसी उम्र का भारतीय नागरिक हो।
- ii) उसके पास 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो।
- iii) जिसकी सभी स्रोतों से मासिक आय 20,000/- रुपए से अधिक नहीं हो।

- iv) आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 20,000/- रुपए से अधिक नहीं हो।
- v) व्यक्ति जिन्होंने समान प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं की हो। तथापि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह सीमा 1 वर्ष के लिए होगी।

टिप्पणी:- अनाथालय तथा हाफ वे होम्स आदि में रहने वाले लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर अथवा संबंधित संगठन के प्रधान के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किए जाएं। ऐसे लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत सहायक यंत्र एवं उपकरण एलिम्को द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

7.0 सहायता की राशि

- (i) 10,000/- रुपए तक की लागत वाले सहायक यंत्र एवं उपकरणों हेतु।

जिन सहायक यंत्रों/उपकरणों की लागत 10,000/- रुपए से अधिक नहीं है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत एकल दिव्यांगता हेतु कवर किया जाता है। तथापि, IXवीं कक्षा से ऊपर के दिव्यांग छात्रों के मामले में, यह सीमा बढ़ाकर 12,000/- रुपए की जाएगी।

बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के मामले में, यदि एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण अपेक्षित हैं, यह सीमा अलग-अलग उपकरणों के लिए लागू होगी।

- (ii) शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से ग्रस्त दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों और बहु - दिव्यांगता ग्रस्त समूहों के लिए आधुनिक सहायक यंत्रों को शामिल करना। उदाहरण के तौर पर, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए डेजी बुक प्लेयर एवं अन्य बातचीत यंत्रों, नेटबुक लैपटॉप और डिजिटल मैग्नीफायर तथा श्रवण बाधित के लिए बिहाइंड दी इयर (श्रवण सहायक यंत्र) की सुविधा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा मदों का निर्धारण किया जाएगा। 20,000 ₹ तक की लागत वाले यंत्रों के संदर्भ में प्रत्येक दिव्यांगता के लिए वित्तीय सहायता की राशि 10,000/-₹ तथा दिव्यांग छात्रों के लिए 12,000/-₹ तक सीमित की जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र, कॉकलियर इम्प्लान्ट को छोड़कर, 20,000/-₹ से अधिक लागत वाले सभी महंगे यंत्रों की सूची, आय सीमा के अध्ययधीन, तैयार की जाएगी। भारत सरकार समिति द्वारा इस तरह सूचीबद्ध किए गए यंत्रों की लागत की 50% राशि का वहन करेगी और शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार या गैर-सरकारी संगठन या किसी अन्य एजेंसी या संबंधित लाभार्थी द्वारा किया जाएगा, जो मामला-दर-मामला आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूर्व में प्राप्त अनुमोदन के अधीन होगा; जिसकी राशि इस योजना के तहत बजट की कुल राशि का 20% तक सीमित होगी।

(ii) कॉकलियर इम्प्लान्ट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों की कॉकलियर इम्प्लान्ट हेतु सिफारिश करने के लिए प्रत्येक जोन में एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को मान्यता देगा जिसकी उच्चतम सीमा 6.00 लाख रुपए प्रति यूनिट होगी जो सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मंत्रालय जोन में उन संस्थानों की पहचान करेगा तथा इन्हें मान्यता देगा जहां शल्य चिकित्सा की जा सके। मंत्रालय योजना के अंतर्गत, कॉकलियर इम्प्लान्ट के लिए उपयुक्त एजेंसी की पहचान करेगा। लाभार्थियों के लिए आय सीमा वही होगी जो अन्य सहायक यंत्रों/उपकरणों के लिए है।

टिप्पणी:- लाभार्थियों को वर्ष 2014-15 से आधार संख्या अथवा राशन कार्ड अथवा वोटर पहचान पत्र से और वर्ष 2015-16 से आधार संख्या से जोड़ा जाएगा।

7.01 सहायता राशि निम्नानुसार है:-

कुल आय	सहायता राशि
(i) 15,000 रुपए प्रति माह तक	(i) सहायक यंत्र/उपकरण की पूर्ण लागत
(ii) 15,001 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह	(ii) सहायक यंत्र/उपकरण की लागत का 50%

7.02 केन्द्र पर दौरों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 250/- रुपए की सीमा के अधीन दिव्यांगजनों एवं एक एस्कार्ट को बस किराया अथवा रेल किराया तक यात्रा लागत स्वीकार्य होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होने तक क्षेत्र के बाहर यात्रा करने के लिए यात्रा लागत दी जाएगी, को छोड़कर लाभार्थी को अपने आवास के निकटतम पुनर्वास केन्द्र में उपस्थित होना चाहिए।

7.03 इसके अलावा, अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए 100/- रुपए प्रतिदिन की दर से खाने और ठहरने का व्यय केवल उन मरीजों के लिए स्वीकार्य होगा जिनकी कुल मासिक आय 15000/- रुपए प्रतिमाह तक है तथा यह परिचालक/एस्कार्ट के लिए भी उपलब्ध है। खाने और ठहरने का व्यय निम्नलिखित के लिए अनुमत होगा:-

i) चलन संबंधी:

क) सुधारात्मक/पुनर्संरचनात्मक शल्य चिकित्सा

ख) वे मामले जिनमें कृत्रिम अंग/केलीपर लगाने के लिए भर्ती होना अपेक्षित है

ii) श्रवण संबंधी: वे मामले जिनमें ईयरमोल्ड फेब्रीकेशन/फिटमेंट हेतु भर्ती होना अपेक्षित है।

iii) दृष्टि संबंधी: मोतियाबिंद के लिए शल्य चिकित्सा

कार्यान्वयन एजेंसियां, जहां तक संभव हो, अस्पताल से सम्बद्ध धर्मशालाओं में उपलब्ध रहने एवं ठहरने की सुविधा का लाभ उठाएंगी।

8.0 प्रदान किए जाने वाले सहायक यंत्रों/उपकरणों का प्रकार

प्रत्येक प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित सहायक यंत्रों और उपकरणों की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी अन्य सामग्री की अनुमति भी दी जाएगी :

8.01 गतिविषयक निःशक्तता

क) सभी प्रकार के प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक उपकरण, गतिशील यंत्र, सर्जिकल फुटवियर, एमसीआर चप्पलें, एडीएल (रोजमर्रा के कार्यकलाप) के लिए सभी प्रकार के उपकरण जिनकी सिफारिश विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर की गई हो ।

ख) गंभीर रूप से दिव्यांगों के लिए और क्वाड्रिप्लेजिक (एससीआई), मस्कुलर, डाइस्ट्रोफी, स्ट्रोक, प्रमस्तिष्क घात, पक्षाघात और ऐसी ही स्थिति वाला अन्य कोई व्यक्ति, जिनके तीन/चार अंग अथवा शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से दिव्यांग हो, के लिए मोटर चालित ट्राइसाइकिल एवं व्हील चेयर। आर्थिक सहायता की सीमा 25000/- रुपए होगी। यह सहायता दस वर्ष में एक बार 16 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। 16 वर्ष और ऊपर के मानसिक विकृतिग्रस्त गंभीर दिव्यांगजन मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल और पहियेयुक्त चेयर के लिए पात्र नहीं होंगे चूंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना/शारीरिक चोट का जोखिम उठाना पड़ता है।

8.02 बधिर दृष्टिबाधित तथा अन्य दिव्यांगताओं सहित दृष्टिबाधिता दिव्यांग

- पांच वर्षों में एक बार 18 वर्ष और ऊपर की आयु के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सुगम्य मोबाइल फोन और विद्यालय जाने वाले दिव्यांग छात्रों दस वर्षों में एक बार (कक्षा दस और ऊपर) को लेपटाप, ब्रेल नोट टेकर और ब्रेलीयर उपलब्ध कराना।
- शिक्षण उपकरण।
- ब्रेल राइटिंग उपकरण।
- बधिर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए संवाद उपकरण, टेलीफोन के लिए ब्रेल अटैचमेंट।
- निम्न दृष्टि यंत्र।
- मांसपेशीय दुष्पोषण अथवा प्रमस्तिष्क घात वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष चलन सहायक यंत्र जैसे अनुकूलित वाकर जिनकी सिफारिश विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर की जाए।

8.03 श्रवण बाधित दिव्यांगता

- बीटीई इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के श्रवण यंत्र।
- शैक्षिक किट।
- सहायक यंत्र।

8.04 मानसिक दिव्यांगता

विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर सलाह दिया गया कोई उपयुक्त उपकरण/किट/ शिक्षण सामग्री।

8.05 बहु- दिव्यांगता (जहां कहीं अपेक्षित हो कुछ रोग उपचारित सहित)

विशेषज्ञ समिति द्वारा सलाह दिया गया कोई उपयुक्त उपकरण।

8.06 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल की गई नयी दिव्यांगता

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शामिल की गई नई दिव्यांगताओं के लिए जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, कोई उपयुक्त यंत्र और उपकरण।

8.07 यंत्रों और उपकरणों का आवधिक संशोधन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन मांगे बिना, निर्धारित वित्तीय अधिकतम सीमा के भीतर सहायक डिवाइसों की सूची आवधिक रूप से संशोधित की जाए। विभाग इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसरण में और अधिक दिशा-निर्देश को भी जारी कर सकता है।

8.08 अनुसंधान और विकास

इस योजना के अंतर्गत बजट का 1% यंत्रों और सहायक उपकरणों में अनुसंधान तथा आईएसआई के समकक्ष मानक की अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ प्रत्यायन मांगने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ब्यौरे समय-समय पर विभाग में विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं।

9.0 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया

संगठन नए मामलों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से और जारी मामलों में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध I और II) में अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना (विधिवत रूप से प्रमाणित) संलग्न होने चाहिए :

- (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 51/52 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- (ख) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 तथा उसकी शाखाओं, यदि अलग से कोई हो, या धर्मार्थ न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- (ग) संगठन की प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम और विवरण (अनुबंध-III)।
- (घ) संगठन के नियमों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की एक प्रति।
- (ङ) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रमाणित परीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (यह दर्शाते हुए कि संगठन की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है)।
- (च) इस योजना के अंतर्गत पहले से ही सहायता अनुदान प्राप्त कर रही कार्यन्वयन एजेंसियों को अनुबंध-IV में दिए गए प्रपत्र अनुसार, पिछले वर्ष में उन्हें निर्मुक्त सहायता अनुदान से सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की सूची सीडी में एक्सेल प्रोग्राम में तथा शामिल किए गए लाभार्थियों का संक्षिप्त विवरण हार्ड कापी में प्रस्तुत करना होगा।

- (घ) अनुबंध V के अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र दिया जाए।
- (ज) कार्यान्वयन एजेंसियां उनके द्वारा आपूर्ति किए गए यंत्र और उपकरणों का एक वर्ष नि:शुल्क अनुरक्षण व्यवस्था प्रदान करें।
- (झ) संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार आरक्षण प्रदान करेगा यदि उसके कर्मचारी नियमित आधार पर 20 से अधिक हैं।
- (ञ) फोटो तथा राशन कार्ड नं./वोटर आईडी नं./ आधार कार्ड नं. जैसा भी मामला हो के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसी एक वेबसाइट का रखरखाव भी करेगी और प्राप्त, उपयोग किए गए अनुदानों के ब्यौरे तथा लाभार्थियों की सूची अपलोड करें।
- (ट) गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के न्यासियों/सदस्यों के पैन और आधार नं. के ब्यौरे।

10.0 सिफारिश

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थान मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अपनी सिफारिशें भेजें। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों तथा एलिम्को के मामले में कोई सिफारिश आवश्यक नहीं है।

11.0 सहायता अनुदान की स्वीकृति/निर्मुक्ति

कार्यान्वित एजेंसियां राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थान/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी से सिफारिशों की प्राप्ति के बाद एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुदान सहायता स्वीकृत की जाएगी। इसके बाद की वित्तीय सहायता निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति की जाएगी।

कार्यान्वयन एजेंसी के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया जाएगा। विशेषज्ञ समिति मॉनीटरिंग समिति भी होगी तथा तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसी को नियुक्त करेगी। समिति की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

11.1 अनुशंसा करने वाला प्राधिकारी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान के उपयोग के संबंध में लाभार्थियों की नमूना जांच संचालित करेगी। नमूना जांच में कम से कम 15% (10 लाख रुपये तक जीआईए के मामले में) तथा 10% (10 लाख रुपये से अधिक जीआईए के मामले में) शामिल होंगे।

11.2 सहायता अनुदान सामान्यतया एक किस्त में निर्मुक्त की जाएगी, यदि जीआईए 10 लाख रुपये से कम है। तथापि, यह सीमा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से सम्पन्न विशेष शिविरों के लिए लागू नहीं होगी। पहली और दूसरी किस्त की मात्रा विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों और समेकित वित्त प्रभाग के परामर्श को भी ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी।

11.3 कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन और अनुवर्ती शिविर संचालित करने के लिए प्रशासनिक/ऊपरी खर्चों के रूप में सहायता अनुदान का 5% उपयोग करेगी। मेगा शिविरों के लिए, जहाँ लाभार्थियों की संख्या 1000 या अधिक है और केंद्रीय/राज्य मंत्री (एसजे एण्ड ई)/मुख्य मंत्री भाग ले रहे हैं, योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 5% प्रशासनिक व्यय स्वीकार्य है।

12.0 सहायता की शर्तें

- i) कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थी की मासिक आय के बारे में संबंधित सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी।
- ii) कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों के बारे में निर्धारित प्रपत्र में (अनुबंध-VI) एक रजिस्टर रखेगी।
- iii) कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का अलग से एक लेखा रखेगी। इस निधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित एडिप योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले एक अलग बैंक खाते में रखा जाना चाहिए।
- iv) कार्यान्वयन एजेंसी के प्रमुख से इस आशय का प्रमाणपत्र कि निधियों का उपयोग कर लिया गया है। मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित संगठनों के साथ अनुबंध-IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार लाभार्थियों की एक सूची, एक्सेल प्रोग्राम में सीडी में पैरा 9 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- v) एक वित्तीय वर्ष का अंतिम लेखा बिल एवं वाउचरों सहित, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित परीक्षित लेखा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- vi) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थी से वचनबंध प्राप्त करेगी कि उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य एजेंसी/स्रोत से ऐसी सहायता नहीं ली है और यह कि वह इसे नेकनीयती से उपयोग करेगा/करेगी।
- vii) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थानों/डी.आर.सी. आदि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
- viii) जब भारत सरकार को विश्वास का कारण यह होगा कि अनुमोदित उद्देश्य के लिए मंजूर राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो कार्यान्वयन एजेंसी से ब्याज सहित राशि वसूल कर ली जाएगी तथा एजेंसी को आगे और कोई सहायता नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ऐसे संगठन को काली सूची में डालने तथा कानून के अनुसार विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- ix) कार्यान्वयन एजेंसियां इस योजना के अंतर्गत किसी देयता पर खर्च नहीं करेंगी, बशर्ते कि निधियां उनके लिए किसी कार्यान्वयन एजेंसी के मामले में (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिसने चार्टर्ड लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित ऋण के विरुद्ध इस योजना के अंतर्गत मानकों/लागत सीमा के अनुसार अनुमोदित यंत्र और उपकरण) वितरित किए हैं, को छोड़कर संस्वीकृत की गई हैं और ऐसी धनराशि एक प्रथक लेखे से गत वर्ष के सहायता अनुदान की धनराशि तक सीमित परिचालित होगी। निःशक्तता कार्य विभाग ऋण राशि पर ब्याज का भार वहन नहीं करेगा।
- x) सरकारी मानकों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत एससी/एसटी/ओबीसी लाभार्थियों के लिए समस्त लाभार्थियों का कम से कम 25% बालिका/महिलाओं के लिए जरूरी है।
- xi) सभी शिविर योजना के ब्यौरे और इसके अंतर्गत प्राप्त सहायता और मंत्रालय की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर प्रदर्शित करेंगे। सम्पन्न शिविरों के फोटो भी कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की
केन्द्रीय योजना के लिए आवेदन

दिनांक:

प्रेषक:

सेवा में,

सचिव,

भारत सरकार,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ, कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विषय: सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप योजना) की
केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सहायता ।

मैं सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना के
अंतर्गत वर्ष के लिए अनुदान हेतु आवेदन इसके साथ प्रस्तुत करता हूँ । मैं प्रमाणित करता हूँ
कि मैंने योजना के नियमों और विनियमों को पढ़ लिया है तथा मैं प्रबंधन की ओर से उन्हें पालन करने का
वचन देता हूँ । इसके अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित शर्तों से सहमत हूँ :

- (क) केन्द्रीय अनुदान में से पूर्णतः अथवा तत्त्वतः प्राप्त की गई परिसम्पत्तियां उन प्रयोजनों को
छोड़कर नष्ट अथवा निपटायी अथवा उपयोग नहीं की जाएगी जिसके लिए अनुदान दिया
जाता है । यदि किसी समय संगठन समाप्त हो जाता है तो ऐसी परिसम्पत्तियां भारत सरकार
को प्रत्यावर्तित हो जाएंगी ।
- (ख) परियोजना के लेखे उचित तरीके से और अलग से रखे जाएंगे । वे भारत सरकार अथवा
राज्य सरकार द्वारा प्रति नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए खुले होंगे । ये भारत के
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के विवेक से पुनः जांच के लिए खुले होंगे ।
- (ग) यदि राज्य अथवा केन्द्र सरकार को विश्वास है कि स्वीकृति राशि का अनुमोदित प्रयोजनों के
लिए उपयोग नहीं हो रहा है तो भारत सरकार अगली किस्त का भुगतान रोक सकती है तथा
पहले के अनुदान की वसूली इस प्रकार कर सकती है जैसा कि वे निर्धारित करें ।
- (घ) संस्था योजना के कार्यान्वयन में यथोचित मितव्ययता का पालन करेगी ।
- (ङ) सहायक यंत्रों/उपकरणों को लगाने/देने से पहले, संगठन लाभार्थियों से वचनबंध प्राप्त करेगा
जैसा कि योजना के अंतर्गत अपेक्षित है ।

- (घ) संस्था निर्धारित रीति से व्यापक प्रचार करने तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद तथा एमएलए के लिए सूचना देने के पश्चात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बैनर के तहत जिलों में योजना का कार्यान्वयन करेगी।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

(कार्यालय मोहर)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का नाम:

1. संगठन

नाम	:
पता	(कार्यालय) :
	(परियोजना) :
फोन	(कार्यालय) :
	(परियोजना) :
फैक्स	(कार्यालय) :
	(परियोजना) :
ई-मेल	(कार्यालय) :
	(परियोजना) :
वैबसाइट	(कार्यालय) :
	(परियोजना) :

2. (i) सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम
तथा निशक्तजन अधिनियम के तहत
सोसायटी रजिस्ट्रेशन की प्रति
(ii) पंजीकरण संख्या और
रजिस्ट्रेशन की तारीख

3. विदेशी अंशदान अधिनियम के
अंतर्गत पंजीकरण :

(हां/नहीं)

4. संगम ज्ञापन तथा उप-विधि :

5. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

(क) (पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें तुलनपत्र (प्राप्ति और भुगतान लेखा सहित), आय और व्यय लेखा होना चाहिए। :

(ख) प्रबंधन बोर्ड/अधिकासी निकाय के सदस्यों के नाम तथा पते (अनुबंध-VI पर प्रपत्र के अनुसार) :

6. परियोजना का ब्यौरा जिसके लिए सहायता अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है :

7. पूर्व वर्ष के अनुदान से निम्नोक्त प्रपत्र में लाभार्थियों के ब्यौरे :

वितरित किए गए यंत्रों तथा उपकरणों की संख्या

क्रम सं.	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या	गतिशील उपकरण जैसे- ड्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, क्रच, वाकर इत्यादि	प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक उपकरण	श्रवण बाधितों हेतु श्रवण यंत्र एवं अन्य उपकरण	दृष्टिहीन, मूक बधिर और निम्न दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु यंत्र और सहायक उपकरण	एमआर से संबंधित सहायक उपकरण	करेक्टिव सर्जरी
कुल								

(क) कुल लाभार्थियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बालिका/महिलाओं की (श्रेणीवार) की संख्या

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कवर किए जाने वाले दिव्यांगजनों की प्रस्तावित संख्या

8. उपलब्ध कर्मचारियों का ब्यौरा

9. अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त सहायता
अनुदान का ब्यौरा -

राज्य सरकार

केन्द्र सरकार

अन्य स्रोत

10. मैंने यह योजना पढ़ ली है और इस योजना की अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। मैं योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ :

(क) निधियों का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

(ख) योजना के तहत मंत्रालय से प्राप्त हुई निधियों के अलग से लेखे रखे जाएंगे।

(ग) संगठन लाभार्थियों को मांग वितरणोपरान्त देखभाल के साथ-साथ यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

.....

.....

तारीख:

मुहर:

नोट: जहां कहीं लागू न हो विशेष रूप से नए संगठन के मामले में कृपया 'लागू नहीं' लिखें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का नाम:

1. दूसरी किस्त के लिए आवेदन फार्म

संगठन

नाम :

पता (कार्यालय) :
(परियोजना) :

फोन (कार्यालय) :
(परियोजना) :

फैक्स (कार्यालय) :
(परियोजना) :

ई-मेल (कार्यालय) :
(परियोजना) :

2. सहायता अनुदान (रुपए)

(क) वर्तमान वर्ष में आवेदित :

(ख) पहली किस्त के रूप में प्राप्त :

(ग) दूसरी किस्त के लिए आवेदित :

3. आवेदनकर्ता संगठन को प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए :

(i) अनुदान के स्वीकृत मापदंडों के अनुसार मद-वार व्यय सहित लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र।

(ii) आरक्षण अनुपालन के साथ लाभार्थियों के ब्यौरे।

(iii) सामान्य वित्तीय नियम 19 के तहत सरकारी अनुदानों से पूर्णतया अथवा पर्याप्त रूप से अर्जित की गयी परिसम्पत्तियां।

(iv) संगठन द्वारा आवश्यक समझी गयी अथवा मांगी गयी कोई अन्य सूचना।

- (v) विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, निर्धारित प्रपत्र में जांच निरीक्षण रिपोर्ट।
- (vi) यंत्रों/उपकरणों के खरीद संबंधी प्रमाण (बिलों/वाउचर की प्रतियां) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित।

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

.....

.....

तारीख:

मुहर:

**सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों
की सहायता योजना (एडिप योजना)**

प्रबंध समिति का गठन दर्शाने वाला विवरण

संगठन का नाम व डाक पता

क्रम सं.	प्रबंध समिति के सदस्य का नाम पैन एवं आधार सं. के साथ	सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी	पूर्ण आवासीय पता फोन/मोबाइल नं. के साथ	काम धंधे का स्वरूप	प्रबंध समिति में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- टिप्पणी :** (i) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रबंध समिति का गठन संगठन की अनुमोदित उप विधियों एवं संगम ज्ञापन के अनुसार है ।
- (ii) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रबंध समिति का चुनाव को हुई उसकी बैठक में साधारण निकाय द्वारा किया गया । इस समिति का कार्यकाल से तक है ।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/सचिव का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
संगठन के कार्यालय की मोहर

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों की सहायता की योजना कार्यान्वित कर रही एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत करना एवं कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर आधार संख्या के बिना अपलोड करना।

क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	पूरा पता	उम्र	पुरुष/ महिला	आय	(प्रदत्त) सहायता का प्रकार	किस तारीख में दी गई	निर्माण प्रभार सहित सहायता कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सब्सिडी प्रदान की	बाहरी लाभार्थी को दिया गया यात्रा व्यय	ठहरने और किए गए का भुगतान	क्या शल्य क्रिया से सुधार किया गया	कुल 10+11+12+13	कितने दिनों तक ठहरे रहे की संख्या	क्या कोई साथ में था	आधार कार्ड संख्या#	लाभार्थी का फोटो *	मोबाइल नं. और लैंड लाइन संख्या एसटीडी कोड के साथ **
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

लाभार्थियों की आधार संख्या का खुलासा अपलोड वेबसाइट पर नहीं किया जाना चाहिए।

* आधार संख्या प्रदान करने पर लाभार्थी के फोटो की आवश्यकता नहीं है।

**लाभार्थी के मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ लैंड लाइन नंबर अपलोड करना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी को प्रदान किए गए सहायक यंत्रों और उपकरणों के बारे में मंत्रालय को फीडबैक प्राप्त करने में सहायक होगा। यदि लाभार्थी के पास ये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके रिश्तेदार / परिचित व्यक्ति के मोबाइल नंबर या एसटीडी कोड के साथ लैंड लाइन नंबर अपलोड करना होगा।

आरक्षण के बारे में विवरण

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना

उपयोगिता प्रमाण पत्र

(नियम 150 के नीचे भारत सरकार के निर्णय (1) देखें)

क्र. सं.	पत्र संख्या और तारीख	राशि

प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिए गए और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के कारण इस मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या के अधीन.....के पक्ष में वर्षके दौरान स्वीकृत अनुदान सहायता.....रु. में से.....रु. की राशि उसी उद्देश्य.....के लिए उपयोग में लाई गई है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है और वर्ष की समाप्ति पररु. की राशि अव्ययित शेष है जिसे सरकार को वापस किया जा रहा है (संख्या.....द्वारा) जिसे अगले वर्ष के दौरान देय अनुदान सहायता की दिशा में समायोजित किया जाएगा।

अगले वर्ष के दौरान देय सहायता

2. प्रमाणित किया जाता है जिन शर्तों पर अनुदान सहायता मंजूर की गई, उनसे मैं सहमत हूँ तथा वह पूर्ण रूप से पूरी की गई हैं/ पूर्ण रूप पूरी की जा रही हैं एवं मैंने निम्न जांच का प्रयोग किया है कि यह देखने के लिए कि वास्तव में राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया।

की गई जाँच के प्रकार

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

हस्ताक्षर
पदनाम
तारीख

चार्टर्ड एकाउंटेंट/लेखा परीक्षक
द्वारा विधिवत् प्रमाणित
पदनाम.....

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा रखे जाने के लिए रजिस्टर कायम रखा जाना।

क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	पूरा पता	पुरुष/महिला	उम्र	आय	(प्रदत्त) सहायता का प्रकार	किस तारीख में दी गई	कुल सहाय लागत	निर्माण /फिटमेंट प्रभार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

यंत्र कुल लागत	सब्सिडी की	बाहरी लाभार्थी को दिया गया यात्रा व्यय	ठहरने और किए गए व्यय का भुगतान	क्या शल्य क्रिया से कोई किया गया	कुल 12+13+14+15	कितने दिनों तक ठहरे रहे की संख्या	लाभार्थी के हस्ताक्षर	क्या अनुरक्षक साथ में रखा गया
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.